न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

(प्र)करण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
179/2024	13.05.2024	27.05.2024

उनवान

नारायण लाल पिता केदारलाल जाति लदा आयु वयस्क निवासी 02–एफ०–11 आर०सी० व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)

– प्रार्थी

बनाम

1. सूर्यप्रकाश पिता महावीर प्रसाद जाति नाथानी आयु वयस्क निवासी नवकार ग्रीन, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
2. बद्री पिता एकलिंग जाति कीर आयु वयस्क निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. राजु पिता एकलिंग जाति कीर आयु वयस्क निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)
4. बरदी पत्नि एकलिंग जाति कीर आयु वयस्क निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)
5. सुगना पत्नि बद्रीलाल जाति कीर आयु वयस्क निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. नन्दा पिता रूपा जाति खारोल आयु वयस्क निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. जोधा पिता छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. आयुष पिता राजेन्द्र कुमार जाति झामड़ आयु वयस्क निवासी सी0–134 शास्त्रीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. रिषभ पिता राजेन्द्र कुमार जाति झामड़ आयु वयस्क निवासी सी0–134 शास्त्रीनगर भीलवाडा जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. सुनिता पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति झामड़ आयु वयस्क निवासी सी0–134 शास्त्रीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. चांदी पत्नि भैरू जाति कीर आयु वयस्क निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. मोहन पिता कजोड़ जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कुम्हारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

13. निरू पत्नि अनिल कुमार जाति जैन आयु वयस्क निवासी सी0–86 शास्त्रीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

14. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्रवण कुमार सेन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कुम्हारिया प0ह0 भोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 207 की अभिलिखित आराजियात 17 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0759 हैक्टेयर, खाता संख्या 220 की आराजी संख्या 10/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3794 है0, खाता संख्या 240 की आराजी संख्या 10, 12 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7840 है0, खाता संख्या 144 की आराजी संख्या 15, 28, 29, 33/2 कुल किता 04 कुल रकबा 1.6313 है0 व खाता संख्या 143 की आराजी संख्या 23/2, 25/2, 26, 26/1, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1, 43 कुल किता 13 कुल रकबा 2.4405 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ौजा कुम्हारिया प0ह0 भोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की माबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 207 की अभिलिखित आराजियात 17 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0759 हैक्टेयर, खाता संख्या 220 की आराजी संख्या 10/1 कुल किता 01 ुल रकबा 0.3794 है0, खाता संख्या 240 की आराजी संख्या 10, 12 कुल किता 02 कुल कबा 0.7840 है0, खाता संख्या 144 की आराजी संख्या 15, 28, 29, 33/2 कुल किता 04 ुल रकबा 1.6313 है0 व खाता संख्या 143 की आराजी संख्या 23/2, 25/2, 26, 26/1, , 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1, 43 कुल किता 13 कुल रकबा 2.4405 हैक्टेयर भूमि की थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय कारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की खली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह ापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार पये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत ारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को रीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा